न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 83/2024

नवप्रीत कौर संधू बनाम नवजोत सिंह आदि

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आरटीए)

--आदेश-- **दिनांक :06.06.2025**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी जरिए अधिवक्ता प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वादिया द्वारा राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम 41 एफ ए, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 30/30 के मुरब्बा नम्बर 9, 43/12, 43/13 की कुल 6.023 हेक्टैयर भूमि व खाता संख्या 62/09 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 2.859 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 42/42 के मुरब्बा नम्बर 26, 35 की कुल 0.910 हैक्टेयर भूमि में से विधिवत रूप से प्राप्त होने वाले हिस्सा का खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया गया। चक 41 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 09 की 6.023 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि प्रतिवादी नवजोत सिंह को अपनी दादी मनजीत कौर उर्फ पंखो पत्नी सोहन सिंह से जरिए वसीयत प्राप्त हुई। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 26, 35 की कुल 0.910 हैक्टेयर नहरी मय खाल भूमि अपने भाई बलवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह से जरिये दानपत्र प्राप्त हुई है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 गुरजीत कौर के नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 7, 12 की कुल 2.859 हैक्टेयर नहरी भूमि पंजीकृत बैयनामा प्राप्त हुई है। इस प्रकार तमाम आराजी किसी भी सूरत में जद्दी जायदाद की परिभाषा में नहीं आती है। वादिया के द्वारा वादपत्र कानून के विपरीत प्रस्तुत किया गया है। अतः अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश करके अर्ज है कि दावा इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कि नकल अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता को दिलायी गई अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आपत्तिया प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा में अंकित नहीं की गई है कि उनके नाम जो कृषि भूमि दर्ज है। वह उनकी स्वअर्जित सम्पति होने के कारण वादिया को हस्तगत वादपत्र पेश करने का अधिकारी नहीं है और वादिया द्वारा पेश वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण चलने योग्य हो। इस कारण जो तथ्य प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा में वर्णित नहीं किये गए है, उनके आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकारी नहीं है। हस्तगत प्रार्थना पत्र एंव जवाबदावा में वर्णित तथ्यों के समर्थन में प्रतिवादीगण द्वारा जो भी दस्तावेज पेश किये गए है या पेश किए जाऐगें उनको साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित करवाये जाने के उपरान्त उन दस्तावेजात पर वादिया को प्रतिपरीक्षण करने का अवसर शेष है। उभयपक्षों की मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य से ही हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत बिन्दू का विनिश्चय किया जा सकता है। इस कारण इस स्तर पर प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी (वादी) के द्वारा अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा प्रार्थना पत्र पर अवलोकन किया। प्रार्थी (प्रतिवादी) के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि हस्तगत प्रकरण में वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की स्वअर्जित सम्पति है। जिसमें से वादिया का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। वादपत्र विधि द्वारा वर्जित है। इसलिए इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी (वादी) अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत भूमि प्रतिवादीगण की स्वअर्जित सम्पति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज सम्पति जद्दी जायदाद होने के कारण वादिया अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने की हकदार है। वादिया का दावा किसी भी रूप में विधि द्वारा वर्जित नहीं है। प्रकरण में दोनो पक्षों की मौखिक एंव

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

दस्तावेजी साक्ष्य से ही हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत बिन्दू का विनिश्चय किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे। लिहाजा वादिया का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित है या नहीं, इसके लिए पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादगत भूमि प्रतिवादीगण की स्वअर्जित सम्पति है। जिसमें से वादिया नवप्रीत कौर पत्नी नवजोत सिंह अपने पति नवजोत सिंह के जीवनकाल में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इसलिए वादिया का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थीगण (प्रतिवादी संख्या 1 ता 3) के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादिया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आरटीए खारिज/अस्वीकार किया जाता है तथा संलग्न प्रकरण संख्या 43/2024, अनवान नवप्रीत कौर संधू बनाम नवजोत सिंह आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 27.01.2025 भी निरस्त की जाती है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। प्रार्थना पत्र सामिल पत्रावली रहे।

आदेश आज दिनांक 06.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

नवप्रीत कौर बनाम नवजोत सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **88, 91, 209 आरटीए** मुकदमा नम्बर **83/2024**

निर्णय दिनांक :-06.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा, श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों के** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थीगण (प्रतिवादी संख्या 1 ता 3) के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादिया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आरटीए खारिज/अस्वीकार किया जाता है तथा संलग्न प्रकरण संख्या 43/2024, अनवान नवप्रीत कौर संधू बनाम नवजोत सिंह आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 27.01.2025 भी निरस्त की जाती है।

आज दिनांक 06.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला (श्रीगंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**04**	**00**

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)